उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् में

निर्णय करने की प्रक्रिया (पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व सहित) –

(The procedure followed in the decision making process, including channels of supervision and accountability)

उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् एवं राजकीय हित में अविलम्ब कार्यवाही की जाती है तथा नीतिगत मामलें बोर्ड की मीटिंग में अनुमोदन उपरान्त अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त अनुपालन किया जाता है तथा वॉछित कार्यवाही हेतु परिषद् में कार्मिक विभिन्न क्षेत्रों हेतु उपलब्ध है। उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् द्वारा कार्यवाही का संचालन कार्मिकों द्वारा अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी की आज्ञानुसार किया जाता है।

उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् के अन्तर्गत चयनित बांस एवं रेशा गतिविधियों हेतु कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं/परियोजनाओं का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य स्वयं मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा किया जाता है तथा प्रगति रिपोर्ट मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से अध्यक्ष को संस्तुति/स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाता है. तद्नुसार ही कार्यान्वयन सम्पादित किया जाता है।

उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् पर अध्यक्ष महोदय के पास सभी प्रकार के निर्णयों का अधिकार, है तथा यूनिट के समस्त विवादों का निपटारा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।

उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् के लेखों की व्यवस्था, संस्था के बैंक खातों का संचालन, अध्यक्ष महोदय के परामर्श पर बैठक बुलाना, गत कार्यवाही की पुष्टि कराना तथा संस्था के हित में सभी कार्यों को सम्पादित कराने का कार्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा किया जाता है।